लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त–समिति की बैठक, आज दिनाँक दिनाँक 03 सितम्बर, 2022 को अपराह्न 01:00 बजे, मा॰ कुलपति जी की अध्यक्षता मे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1	**प्रो॰ आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2	श्री सम्पूर्णानन्द	(अपर निदेशक, पेंशन एवम् कोषागार) प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव, (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन।	(सदस्य)
3	डा॰ सुधीर कुमार	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपर मुख्य सचिव, (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन के नामित प्रतिनिधि	(सदस्य)
4	डा॰ संजय मेधावी	कुलसचिव	(सदस्य)
5	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी	परीक्षा नियंत्रक	(सदस्य)
6	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त–अधिकारी	(सदस्य सचिव)
7	प्रो॰ राकेश चन्द्रा,	डीन (एकेडमिक्स)	विशेष आमंत्रित
8	प्रो॰ पूनम टण्डन,	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित
9	प्रो॰ राकेश द्विवेदी	कुलानुशासक	विशेष आमंत्रित
10	प्रो॰ डी॰के॰ सिंह	अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय	विशेष आमंत्रित
11	डॉ॰ दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव	कार्य–अधीक्षक,	विशेष आमंत्रित

बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है :

बिन्दु संख्या–01

वित्त–समिति की बैठक दिनाँक 06 जून, 2022 के कार्यवृत्त एवं अनुपालन–आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण के द्वारा प्रेषित, लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों के विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में प्रस्ताव, दिनाँक 26.08.2022 वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

विभागाध्यक्ष, व्यापार प्रशासन विभाग के द्वारा प्रेषित, लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु विषय–विशेषज्ञों को प्रतिमाह देय मानदेय की सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिनाँक 02.02.2022 को वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

निम्नवत् अंकित प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया गया और निर्णय लिया गया कि विषय–विशेषज्ञों को प्रतिमाह देय मानदेय की यह सीमा विश्वविद्यालय के समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों पर लागू होगी।

Sl. No.	Programmes	Payment Per Hour	Present Maximum Monthly limit	Proposed Max. Monthly limit
1	PG & PG Diploma	Rs. 800/-	Rs. 30,000/-	Rs.40,000/-
2	UG & Diploma	Rs. 600/-	Rs. 25,000/-	Rs.30,000/-
3	Certificate Programmes	Rs. 400/-	Rs. 20,000/-	Rs.20,000/-

बिन्दु संख्या–4

डॉ॰ रोली मिश्रा, समन्वयक, भूगोल विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र दिनाँक 11.05.2022 के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय मे संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम–**भूगोल** को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं॰ : एम 18234–35 दिनाँक 01.11.2021 द्वारा संकायाध्यक्ष, कला संकाय से, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र सं॰ ई–6178 / 5 जी॰एस॰ / 2021 (सी) दिनाँक 21.10.2021

के अनुक्रम मे यथोचित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। समिति उक्त से अवगत हुई।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव पर मा॰ कार्य–परिषद के समुचित अनुमोदनोपरान्त यह प्रकरण, वाँछित अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाय।

<u>बिन्दु संख्या–5</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों मे कार्यरत् सहायक प्रोफेसर (संविदा) के वेतन बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मे संचालित समस्त स्वावित्तपोषित पाठ्यक्रमों/विभागों में कार्यरत् शिक्षकों के लिए वेतन दर का निर्धारण शासनादेश संख्या 2/2020/226/सत्तर–2–2020–18 (31)/2018 दिनांक 13.03.2020 के अन्तर्गत करने हेतु मा॰ कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 30.08.2022 मे विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों/विभागों मे कार्यरत् शिक्षकों का वेतन निम्नवत् निर्धारित करने की संस्तुति की गयी है:–

क्रम	पाठ्यक्रम	पदनाम	वेतन दर निर्धारण की संस्तुति
01	आई॰एम॰एस॰, अभियांत्रिकी संकाय, फार्मेसी संस्थान व वाणिज्य संकाय में संचालित एमबीए पाठ्यक्रम	सहायक प्रोफेसर	रू॰ 57,700/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ
		एसोसिएट प्रोफेसर	रू॰ 85,000/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ
		प्रोफेसर	रू॰ 1,10,000/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ
		निदेशक	*रू॰ 1,20,000/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ
02	क्रमांक 01 से इतर स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम	सहायक प्रोफेसर	रू॰ 35,000/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ
		एसोसिएट प्रोफेसर	रू॰ 60,000/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ
		प्रोफेसर	रू॰ 90,000/–प्रतिमाह (नियत) + ई पी एफ

* रू0 1,10,000/– प्रतिमाह नियत वेतन + रू0 10,000/– प्रतिमाह विशेष भत्ता

(2) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित जिन पाठ्यक्रमों मे कार्यरत् शिक्षकों को उपरोक्त प्रस्तर 01 मे की गयी संस्तुति से कम वेतन मिल रहा है उनका वेतन उपरोक्तानुसार निर्धारित करने तथा जिन शिक्षकों को उपरोक्त संस्तुति से अधिक वेतन मिल रहा है, उन्हें वर्तमान मे मिल रहे वेतन दर पर ही नियत करने की समिति द्वारा संस्तुति की गयी है। समिति उक्त से अवगत हुई।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–6

अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय में कार्यरत् प्रयोगशाला अनुदेशकों (संविदा) के वेतन बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रकरण वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2022 के अन्य बिन्दु संख्या 06 पर लिये गये निर्णय व कार्य–परिषद की बैठक दिनाँक 12.04.2022 के बिन्दु संख्या 06 पर प्रदत्त अनुमोदन तथा समन्वयक / प्रो॰ इंचार्ज, अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय के पत्र दिनाँक 08.03.2022 के द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम मे मा॰ कुलपति जी द्वारा दिनांक 25.05.2022 को एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा दिनांक 30.08.2022 की अपनी बैठक में अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय में कार्यरत् प्रयोगशाला अनुदेशकों (संविदा) के वेतन बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार कर उक्त समिति द्वारा समस्त प्रयोगशाला अनुदेशकों (संविदा) को न्यूनतम् रू॰ 35,400.00 + सी॰पी॰एफ॰ प्रतिमाह किये जाने की संस्तुति की गयी है। समिति उक्त से अवगत हुई।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय में कार्यरत् समस्त प्रयोगशाला अनुदेशकों (संविदा) को रू॰ 20,000 / – प्रतिमाह (नियत) वेतन + ई पी एफ का भुगतान किया जाय।

बिन्दु संख्या–7

समन्वयक, रक्षा–अध्ययन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के द्वारा स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप मे 'NCC' पाठ्यक्रम के विद्यार्थियो से पाठ्यकम शुल्क रू॰ 3,000 / – प्रति सेमेस्टर लिये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव 30.08.2022 वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–8

समन्वयक, पी॰जी॰ डिप्लोमा रिमोट–सेंसिग व जी॰आई॰एस॰ पाठ्यक्रम (स्ववित्त–पोषित) के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम का बजट प्रस्ताव वित्त–समिति के समक्ष, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त बजट प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–9

कुलानुशासक के पत्र, दिनाँक 31.08.2022 के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु नियोजित 07 भूतपूर्व सैनिको के पारिश्रमिक को रू॰ 13,747/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू॰ 25,000/– प्रतिमाह किये जाने के प्रस्ताव वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–10

अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण के द्वारा प्रेषित, लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों के शुल्क के रख–रखाव के सम्बन्ध में बैठक दिनाँक 13.08.2022 का कार्यवृत्त वित्त–समिति के समक्ष, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–11

निदेशक, हाइड्रोकार्बन, ऊर्जा और भू–संसाधन संस्थान, ओ॰एन॰जी॰सी॰ केन्द्र द्वारा संस्थान मे 01 तृतीय श्रेणी एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के पद का सृजन किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति को अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति की विगत बैठक दिनाँक 06 जून, 2022 में विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया था कि पाठ्यक्रम की आय एवं व्यय से सम्बन्धित पूर्ण विवरण के साथ इसे वित्त समिति की अगली बैठक मे प्रस्तुत किया जाय। तद्नुसार, निदेशक, हाइड्रोकार्बन, ऊर्जा और

भू–संसाधन संस्थान ओ॰एन॰जी॰सी॰ केन्द्र के द्वारा विवरण उपलब्ध कराया गया है। समिति उक्त से अवगत हुई।

उक्त पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से हाइड्रोकार्बन, ऊर्जा और भू–संसाधन संस्थान, ओ॰एन॰जी॰सी॰ केन्द्र में कार्य निष्पादन हेतु 01 (एक) कुशल व 01 (एक) अकुशल कर्मी को आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से नियोजित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–12

परीक्षा के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों के पारिश्रमिक अवधि के पुर्ननिर्धारण का प्रस्ताव वित्त–समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान प्रातः एवं सायं परीक्षा कार्यों मे योगदान के सापेक्ष कर्मचारियो के 30 दिनों की सीमा तक ही पारिश्रमिक के भुगतान के निर्देश हैं। वर्तमान सेमेस्टर परीक्षा परीक्षा प्रणाली मे प्रत्येक सेमेस्टर मे 90 दिवसों में विभिन्न परीक्षायें आयोजित की जा रही हैं। वित्त–समिति की पूर्व बैठक दिनाँक 06.06. 2022 मे लखनऊ विश्वविद्यालय मे परीक्षा कार्यो मे संलग्न कर्मचारियों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त वास्तविक कार्य दिवसों की यात्रा–भत्ता भुगतान किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है।

उक्त पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय मे परीक्षा कार्यों में संलग्न कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी को रू0 120/– प्रति शिफ्ट एवं चतुर्थ श्रेणी को रू0 80/– प्रति शिफ्ट पारिश्रमिक परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त वास्तविक कार्य दिवसों (प्रति सेमेस्टर अधिकतम 50 कार्य दिवसों की सीमा तक) का भुगतान किया जाये।

बिन्दु संख्या–13

परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठों मे सफाई व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु निम्नवत् प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :–

(अ) माह सितम्बर 2022 से, अनुमोदन की सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार श्रमिक/सफाई कर्मियों की सेवाएं, विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से चयनित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से लिये जाने हेतु विचार–विमर्श व अनुमोदन।

(ब) माह अगस्त 2022 तक की अवधि हेतु श्रमिकों/सफाई कर्मियों को भुगतान हेतु

लम्बित प्रतिपूर्ति बीजकों, जिनकी कुल धनराशि रू॰ 12,45,194/ मात्र है, के भुगतान हेतु विचार–विमर्श व अनुमोदन।

उक्त पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया कि समस्त बीजकों को सम्बन्धित से प्रमाणित करा लिया जाय कि भुगतान वास्तव मे देय है तथा इस मद में अद्यतन कोई भी बीजक भुगतान हेतु लम्बित नहीं है तथा भविष्य में समस्त प्रकार की सेवायें आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से ही ली जायेंगी तथा वित्त–समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

अन्य बिन्दु।

अन्य बिन्दु सं0–1

वित्त–समिति के समक्ष, कार्य–अधीक्षक, निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में नव–निर्मित अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय सभागार के आवंटन हेतु शुल्क का निर्धारण व अन्य नियम मालवीय सभागार के शुल्क के समतुल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार की भांति विश्वविद्यालय के कार्यकमों हेतु रू0 5,000/– तथा वाह्य कार्यकमों के लिए रू0 30,000/– प्रतिदिन शुल्क लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु सं0–2

वित्त–समिति के समक्ष, कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कार्यालय के दो पुराने वाहन (एम्बेसडर कार) संख्या : UP 32 EQ 8965 व UP 32 EQ 8966 को निष्प्रयोज्य घोषित कराकर इनके स्थान पर विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों हेतु दो नये वाहन प्रक्रिया का पालन करते हुए, क्रय करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु सं0–3

वित्त–समिति के समक्ष प्रो॰ अनूप कुमार भारतीय, अध्यक्ष, समाज–कार्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय के राधाकमल मुखर्जी सभागार के आवंटन शुल्क विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों हेतु रू॰ 3,500/–एवं वाहय संस्थाओं के लिए रू॰ 15,000/– निर्धारण करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु सं0–4

वित्त–समिति को अवगत कराया गया कि निवेदिता छात्रावास की सफाई कर्मचारी को अवरूद्ध वेतन का भुगतान लम्बित है। समिति सूचना से अवगत हुई व प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा प्रकरण में कार्यालय द्वारा सक्षम स्तर से परीक्षण व अनुमोदनरोपरान्त भुगतान करने हेतु प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के माध्यम से ही सेवाएं ली जाय।

अन्य बिन्दु सं0–5

वित्त–समिति के समक्ष प्रो॰ तृप्ता त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय द्वारा प्रेषित विभाग को अनुमन्य वार्षिक कन्टीजेंसी को स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रू॰ 3 लाख मात्र अतिरिक्त स्वीकृत किया जाय।

सूचनार्थ है कि विगत नैक टीम भ्रमण के दौरान शिक्षा शास्त्र भवन मे नैक टीम का शिविर कार्यालय बनाया गया था जिसके कारण शिक्षा शास्त्र विभाग/संकाय भवन मे विशेष तौर पर साफ–सफाई, वाई–फाई की स्थापना, विशेष साज–सज्जा व अन्य आवश्यक कार्य करवाये गये जिस पर काफी अतिरिक्त व्यय हुआ है।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त–समिति द्वारा शिक्षा संकाय/विभाग को, केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कन्टीजेंसी व्यय हेतु आवंटित धनराशि रू0 2 लाख को बढ़ाकर रू0 5 लाख मात्र किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि अतिरिक्त व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण परीक्षण कर लिया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि किये गये समस्त व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप हैं।

मा॰ अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

3.9.2022
(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक

3-9-22
(डा॰ संजय मेधावी)
कुलसचिव

03/09/22
(डा॰ सुधीर कुमार)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
अपर मुख्य सचिव, (उच्च शिक्षा)
उ॰प्र॰ शासन के नामित प्रतिनिधि

03.09.2022
(सम्पूर्णानन्द)
अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार,
प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ॰प्र॰ शासन।

03/09/22
(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति/ अध्यक्ष

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

मा॰ कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक 03 सितम्बर 2022 को अपराह्न 01:00 बजे, मंथन हॉल, प्रशासनिक भवन में आयोजित, वित्त समिति की बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति

1	प्रो॰ आलोक कुमार राय मा॰ कुलपति	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) 03/09/22
2	श्री सम्पूर्णानन्द (अपर निदेशक, पेंशन एवम् कोषागार प्रतिनिधि – अपर मुख्य सचिव, (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन।	(सदस्य)	(हस्ताक्षर) 03.09.2022
3	Dr. Sudhir Kumar क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपर मुख्य सचिव, (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन के नामित प्रतिनिधि	(सदस्य)	(हस्ताक्षर) 03/09/22
4	डा॰ संजय मेधावी कुलसचिव	(सदस्य)	(हस्ताक्षर) 3-9-22
5	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी परीक्षा नियंत्रक	(सदस्य)	(हस्ताक्षर) 3.9.2022
6	श्रीमती हिमानी चौधरी वित्त अधिकारी	(सदस्य सचिव)	(हस्ताक्षर) 3-9-22
7	प्रो॰ राकेश चन्द्रा डीन (एकेडमिक्स)	विशेष आमंत्रित	Rakesh Chandra
8	प्रो॰ पूनम टण्डन अधिष्ठाता छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित	(हस्ताक्षर)
9	प्रो॰ राकेश द्विवेदी कुलानुशासक	विशेष आमंत्रित	(हस्ताक्षर)
10	प्रो॰ डी॰के॰ सिंह अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय	विशेष आमंत्रित	(हस्ताक्षर)
11	डॉ॰ दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव कार्य–अधीक्षक,	विशेष आमंत्रित	(हस्ताक्षर)